

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

सं0सं0-02/परी0-01(राज0)-13/2023-

पटना, दिनांक-

आदेश

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के कार्यालय में प्रायः विभिन्न आवेदकों के विभागीय परीक्षा से संबंधित आवेदन-पत्र प्राप्त हो रहे हैं जिनमें से अधिकांश ऑनलाईन आवेदन-पत्रों में हुई त्रुटियों, विभागीय उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र में संशोधन एवं विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा नहीं होने के साथ ही उत्तीर्णता एवं अनुत्तीर्णता की सम्पुष्टि से संबंधित होते हैं। उक्त हेतु आवेदकों द्वारा स्वयं पत्राचार किया जा रहा है अथवा स्वयं से वरीय सोपान पर पदस्थापित पदाधिकारियों द्वारा आवेदन-पत्र को अग्रसारित कर राजस्व पर्षद को उपलब्ध कराया जा रहा है।

उपरोक्त आलोक में निदेशानुसार निम्न पदाधिकारियों द्वारा अग्रसारित आवेदन-पत्रों पर ही (ऑनलाईन आवेदन-पत्रों में हुई त्रुटियों, विभागीय उत्तीर्णता प्रमाण-पत्र में संशोधन एवं विभागीय परीक्षा में सम्मिलित होने अथवा नहीं होने के साथ ही उत्तीर्णता एवं अनुत्तीर्णता की सम्पुष्टि से संबंधित पत्र) राजस्व पर्षद द्वारा कार्रवाई किये जाने का निर्णय लिया गया है:-

- (i) विभिन्न विभागों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के आवेदन-पत्र संबंधित विभाग के उप सचिव/समकक्ष के स्तर से।
- (ii) विभिन्न निदेशालयों में कार्यरत पदाधिकारियों/कर्मियों के आवेदन-पत्र संबंधित निदेशालय के निदेशक/समकक्ष के स्तर से।
- (iii) विभिन्न जिलों में पदस्थापित पदाधिकारियों/कर्मियों के आवेदन-पत्र संबंधित जिला पदाधिकारी के स्तर से

2 प्रस्ताव में माननीय अध्यक्ष-सह-सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।

राजस्व पर्षद, बिहार के आदेशानुसार,

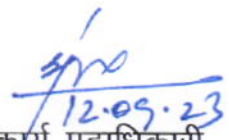
ह0/-

विशेष कार्य पदाधिकारी,

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।

ज्ञापांक:- 02/परी0-01(राज0)-13/2023- 1023 पटना, दिनांक:- 12-09-2023

प्रतिलिपि:- सभी विभागाध्यक्ष/सभी प्रमण्डलीय आयुक्त/सभी निदेशक एवं सभी जिला पदाधिकारी, बिहार से अनुरोध है कि अपने अधिनस्थों को भवदीय स्तर से संसूचित करने की कृपा की जाये।


12.09.23
विशेष कार्य पदाधिकारी,
राजस्व पर्षद, बिहार, पटना।